बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार ,पटना

अधिसूचना

तारीख03/12/2013

सं0...आर0

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता हैं कि गाँव – **शिवनपुर** थाना नं0 – 06, परगाना– कुटुम्बा, थाना– नबीनगर, जिला– औरंगाबाद मे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता हैं कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव– शिवनपुर के भीतर भूमि का एक टूकड़ा अपेक्षित हैं, जो मानक माप के कम वेश, जो **15.634** एकड़ के बराबर होता हैं और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एवं चौहद्दी निम्न प्रकार हैं :–

अधिकृत खेसरा सं0 –

पूर्ण :– 655, 588, 587, 586, 585 एवं 584

अंश – 589, 583, 582, 572, 569, 568, 565, 510, 509, 507, 506, 652, 581, 580, 571, 570, 654 एवं 601

उतर :– अंकोरहा, थाना नं0– 03

पूरब :– धूजा, थाना नं0– 05

दक्षिण :– मारर सरगडा, थाना नं0– 16

पश्चिम :– 504, 506, 510, 589 एवं 635

यह अधिसूचना अधिनियम 1894 कि धारा 4 के उपबंधो के अधीन (यथा भू–अर्जन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी ब्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता हैं। समाहर्ता, औरंगाबाद भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना के संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे नवीनगर जेनरेटिंग पावर कारपोरेशन लि0 पटना के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम को धारा 17 (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने परियोजना की शीध्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A (2) के उपबंध लागू नही होंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

समाहर्ता
औरंगाबाद

ज्ञा0 सं0–14/डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0)–औरंगाबाद–181/13– 2747 /रा0, पटना–15, दिनांक–03/12/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।